न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)
अपील संख्याः–180/2019/75 एल. आर.एक्ट (2019/00180)

1. श्रीमती भंवरी पत्नी स्व0 श्री मैदानसिंह जाति रावत निवासी गांव बडकोचरा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर
2. श्री मंगलसिंह पुत्र श्री मैदानसिंह जाति रावत निवासी गांव बडकोचरा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए भू धारक एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार ब्यावर जिला अजमेर
2. श्रमती मीरा चौहान सरपंच ग्राम पंचायत बडकोचरा तहसील जिला अजमेर
3. श्रीमान ग्राम सेवर एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत बडकोचरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर
4. श्रीमान सहायक अभियंता, जनस्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग ब्यावर खण्ड ब्यावर जिला अजमेर

रेस्पोडेन्टस

5. मिट्ठूसिंह पुत्र स्व0 श्री मैदानसिंह जाति रावत निवासी ग्राम बडकोचरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर
6. श्रीमती नेनी पुत्री धन्ना सिंह उम्र 50 वर्ष जाति रावत निवासी ग्राम बडकोचरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर हाल ससुराल केसरपुरा तहसील रायपुर जिला पाली

तरतीबी रेस्पोडेन्टस

<u>अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर केम्प बडकोचरा विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.04.2013</u>

उपस्थितः–

1. श्री तुलवीर सिंह चौहान, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 1.
3. रेस्पोडेंट संख्या 2 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः–4.11.2022

1. यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर केम्प बडकोचरा के आदेश दिनांक 09.04.2013 के विरूद्ध न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने इंद्राज दुरूस्ती/खातेदारी घोषणा का वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,ब्यावर के समक्ष दिनांक 25.5.2015 को प्रस्तुत किया तब अभिभाषक की आपसी बातचीत व सलाह मे यह तथ्य सामने आया कि जिस आदेश नामांतकरण के द्वारा भूमि की सिवायचक दर्ज किया गया हैं उसकी नकल प्राप्त कर कार्यवाही की जावे तब मालुमात करने पर नामांतकरण संख्या 83 दिनांक 24.5.

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2013 के द्वारा भूमि खसरा संख्या प्रयोजनार्थ भूमि आरक्षित ग्राम पंचायत बडकोचरा किए जाने की जानकारी दिनांक 28.5.2015 को प्राप्त हुई जिस पर दिनांक 28.5.2015 को ही नकल हेतु आवेदन किया और दिनांक 28.5.2015 को नकल नामांतकरण प्राप्ति होने पर आज दिनांक को यह प्रथम अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।रेस्पोडेन्ट संख्या 02 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि जिसका पुराना खसरा संख्या 1910 रकबा 4–3–00 सन फसली 1350 केवट के खाता संख्या 88 के हाल भूमि खसरा संख्या 1446 जिसका रकबा 51 बीघा 15 बिस्वा है, के मिन खातेदार काश्तकार अपीलार्थीगण के पूर्वज गज्जा वगैरह थे। जिसे दिनांक 24.5.2013 को उपखण्ड अधिकारी ब्यावर केम्प बडकोचरा तहसील ब्यावर ने बिना अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिए खातेदारी कृषि में से खसरा संख्या 1910 के 4 बीघा 3 बिस्वा में से 2 बीघा 3 बिस्वा को ग्राम आबादी हेतु आरक्षित करने के आदेश पारित किए तत्पश्चात उक्त भूमि पर पानी की टंकी के निर्माण के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ब्यावर को आवंटन आदेश पारित कर दिए जो गैर कानूनी व अवैध होने के कारण निरस्त करने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के द्वारा गैर कानूनी तरीके से खातेदारी कृषि भूमि को आबादी हेतु आरक्षित करने व उसके पश्चात जरिए नामांतरण संख्या 831 दिनांक 24.5.2013 को खसरा नम्बर 1910 के रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा में से खसरा नम्बर 1910/2 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा किस्म आबादी ग्राम पंचायत बडकोचरा के नाम आरक्षित अंकन करने की स्वीकृति के पश्चात अपीलार्थीगण ने अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर कार्यवाही की जिसमें अपीलार्थीगण का काफी समय जाया हो गया। अपीलार्थीगण को नकल प्राप्त करने व कानूनी सलाह लेने में भी काफी समय लग गया जिससे मियाद अवधि में अपील प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। अपीलार्थी संख्या 1 बुजुर्ग अनपढ़ महिला है जो जिन्हें न्यायिक कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं रखती है व अपीलार्थी संख्या 2 भारतीय सेना से सेवानिवृत कर्मचारी है जो काम के सिलसिले में बाहर होने से विधिक जानकारी नहीं होने से अपील मियाद अवधि में प्रस्तुत करने में असफल रहे। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 831 में अंकित भूमि खसरा नम्बर 1910 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा साबिक खसरा संख्या 1446 का मिन रकबा है जो कि अपीलांटस के पूर्वज गज्जा पुत्र रामा की खातेदारी एवं कब्जा काश्त में चली आ रही है। जो कि अपीलांटस को विरासत से प्राप्त हुई है। उक्त सजरा खानदान अनुसार स्व0 रामा उर्फ रामसिंह जी द्वारा धारित भूमि उनके पुत्र गज्जा उर्फ गज्जा सिंह बड़ा पुत्र होने के नाते उसी के नाम पर चली आई तथा अपीलांटस ने इस बावत कोई ध्यान नहीं दिया कि भूमि उनके नाम खातेदारी में अंकित है अथवा नहीं क्योंकि भूमि पर निरंतर काबिज काश्त होते चले आने से इंद्राज परिवर्तन की कोई जानकारी अपीलांटस को नहीं हुई ।

तथा कभी किसी पक्षकार द्वारा कोई ऐतराज इत्यादि भी नहीं किया गया तथा ना ही कोई सूचना अथवा नोटिस ही प्राप्त हुआ। राजस्व कर्मचारियों एवं भू प्रबंध विभाग को खातेदारी भूमि के इंद्राज में परिवर्तन किए जाने के कोई अधिकार प्राप्त नहीं है उन्हें पूर्व में ही इंद्राज को रिपीट किया जाना चाहिए था परंतु भू प्रबंध विभाग द्वारा दौहराने भू प्रबंध कर्मचारियों ने बिना किसी विधिक कार्यवाही को अपनाते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि साबिक खसरा संख्या 1446 रकबा 51 बीघा 15 बिस्वा के भिन्न भाग रकबा 4 बिघा 3 बिस्वा के हाल खसरा संख्या 1910 कायम करते हुए उसे सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि भूमि काबिल काश्त होकर पानी ढाल संगत है जिस पर अपीलांटस के पूर्वजों द्वारा लगाए गए पीपल व नीम के बड़े पेड़ आज भी लगे हुए हैं तथा अपीलांटस मकान इसी भूमि पर बना होकर अपीलांटस के मकान के सामने कृषि भूमि अवस्थित है। जिसे आदेश जेर अपील के द्वारा नामांतकरण संख्या 830 दिनांक 24.5.2013 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी के आदेश से तहसीलदार ब्यावर द्वारा आबादी प्रयोजनार्थ भूमि आरक्षित ग्राम पंचायत बड़कोचरा किए जाने के महत्वपूर्ण कानूनी त्रुटि की है। माननीय राज्य सरकार एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर व राजस्थान उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे कई महत्वपूर्ण दृष्टांत एवं सिद्धांत प्रतिपादित किए गए है कि किसी भी खातेदारी भूमि को भू प्रबंध के दौहरान भू प्रबंध विभाग द्वारा किसी सक्षम अधिकारी के आदेश वैध हस्तान्तरण के बिना राजस्व अभिलेख में पूर्ववर्ती इंद्राजात को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है फिर भी आदेश जेर अपील में वर्णित भूमि खसरा संख्या 1910 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा को सिवायचक दर्ज किए जाने एवं आबादी में आरक्षित किए जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक आदेश पारित किए गए। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर केम्प बड़कोचरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.04.2013 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के जवाब में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो स्वाभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रशासन गांवो के संग अभियान 2013 में दिनांक 09.04.2013 को ग्राम पंचायत मजमेआम में पारित किया गया। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने अपने प्रस्ताव दिनांक 20.02.2013 में उक्त खसरा नम्बरों को आबादी विस्तार हेतु व सरकारी कार्यालय हेतु प्रस्ताव लिया गया था जो ग्राम पंचायत की बैठक में लेकर अनुमोदन किया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत की बैठक व ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होने वाले कैम्प की सभी ग्रामवासियों को जानकारी होती है क्योंकि ग्राम पंचायतों में लगने वाले कैम्प की सार्वजनिक सूचना चस्पा की जाती है व कैम्प का प्रचार, प्रसार किया जाता है ऐसी स्थिति में अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश की पूर्ण जानकारी में था। अपीलाधीन आदेश में विवादित खसरा नम्बर 1910 रकबा 4-3-00 बीघा पर काफी वर्षो पूर्व से ही गाँव की आबादी बसी हुई है जिसकी अपीलांट को शुरू से भलीभांति जानकारी है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन आदेश की जानकारी किस प्रकार हुई जिसकी अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में उल्लेख नहीं किया है। जिसकी उक्त प्रार्थना पत्र अपीलांट ने मनगढ़त व झूठे तथ्यो के आधार पर धारा 5 मियाद अधिनियम का

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलांट ने यह अपील अपीलाधीन आदेश की शुरू से ही जानकारी होने के बावजूद भी भारी मियाद बाहर प्रस्तुत की है तथा प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया है जिससे अपीलांट का धारा 5मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य हों। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील भारी मियाद बाहर पेश की गई है इसलिए अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर उक्त अपील को मियाद बाहर प्रस्तुत किया जाने से निरस्त किया जाए।

7. तत्पश्चात् राजकीय अभिभाषक ने बहस में आगे कथन किया कि विवादित भूमि ग्राम पंचायत को पुरानी आबादी बसी होने के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा लिये गये प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक सूचना चस्पा कर विधि सम्मत आबादी / सरकारी कार्यालय हेतु आवंटित की है। अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। आवंटित भूमि आवंटन के समय राजकीय भूमि राजस्व अभिलेख में अंकित थी जिसको विधिवत रूप से कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए राज्य सरकार के आदेश की पालना में सही तौर पर ग्राम पंचायत की आबादी/सरकारी कार्यालय हेतु आवंटित की गयी है। अपीलांट ने अपने आप को प्रभावित पक्षकार मानते हुए अपील प्रस्तुत की है जो कि अपीलांट प्रभावित पक्षकार बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा. दी. प्रस्तुत नहीं किया है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित समझते हैं। पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन आदेश की जानकारी किस प्रकार हुई जिसकी अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में उल्लेख नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रशासन गांवो के संग अभियान 2013 में दिनांक 09.04.2013 को ग्राम पंचायत मजमेंआम में पारित किया गया था। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने अपने प्रस्ताव दिनांक 20.02.2013 में उक्त खसरा नम्बरों को आबादी विस्तार हेतु व सरकारी कार्यालय हेतु प्रस्ताव लिया गया था जो ग्राम पंचायत की बैठक में लेकर अनुमोदन कर निर्णय लिया गया था। इस प्रकार ग्राम पंचायत की बैठक व ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होने वाले कैम्प की सभी ग्रामवासियों को जानकारी होती है क्योंकि ग्राम पंचायतों में लगने वाले कैम्प की सार्वजनिक सूचना चस्पा की जाती है व कैम्प का प्रचार, प्रसार किया जाता है ऐसी स्थिति में अपीलांट संख्या 02 जो शिक्षित है जिसको अपीलाधीन आदेश की पूर्ण जानकारी थी। अपीलाधीन आदेश में विवादित खसरा नम्बर 1910 रकबा 4–3–00 वीघा पर काफी वर्षो पूर्व से ही गॉव की आबादी बसी हुई है जिसकी अपीलांटस को शुरू से भलीभांति जानकारी थी। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में यह कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी में से जन स्थावरथ्य अभियांत्रिक विभाग, ब्यावर को आवंटन कर उक्त भूमि पर पानी की टंकी के निर्माण करने का कथन अंकित किया है। ऐसी स्थिति में यदि भूमि शुरू से कब्जे काश्त में होती तो विवादित भूमि का किसी भी रूप में आवंटन नहीं किया जा सकता था। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में अपील मियाद प्रस्तुत करने का पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया है। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अधिनियम में ऐसा कोई औचित्य व कारण नहीं बताया गया है जिससे न्यायालय संतुष्ट हो सके एवं न ही ऐसा कारण बताया जो उन्हे इन 6 वर्षो में अपील करने में अवरोधक बना हों। इन आधारा को स्पष्ट किये बिना धारा 5 मियाद अधिनियम की मंशा के विरूद्ध ऐसे प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाता है।

9. अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किये जाने से अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2013 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 04.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर